कार्यालय – अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची–2

पत्रांक.................., दिनांक..................

प्रेषक,

जे0बी0 जौहर
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची

विषयः– वित्तीय वर्ष 2008–09 में ''वन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण योजना'' (अन्य क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के लिए **62.500 लाख रू0 (बासठ लाख, पचास हजार रू0) मात्र** के व्यय का स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

सूचित करना है कि विभाग में विभिन्न स्तर पर कार्य कुशलता में वृद्धि लाने के लिए अधिकारियो के लिए कार्यालय, आवास तथा वन विश्रामागारों की मरम्मति एवं सुसज्जीकरण, करने का इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ।

2. इस योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक का आवास मरम्मति, वन संरक्षक का आवास मरम्मति, वन प्रमण्डल पदाधिकारी का आवास मरम्मति, सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी, सहायक लिपिक, वनपाल, वनरक्षी एवं चतुर्थ वर्गीय आवासों की मरम्मति इत्यादि कार्य का प्रस्ताव है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक का आवास मरम्मति 30 हजार, वन संरक्षक का आवास मरम्मति 25 हजार, वन प्रमण्डल पदाधिकारी का आवास मरम्मति 20 हजार, सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी की आवास मरम्मति 15 हजार तथा सहायक लिपिक, वनपाल, वनरक्षी एवं चतुर्थ वर्गीय आवासों की मरम्मति 10 हजार प्रति आवास के दर पर राषि उपलब्ध करायी जायेगी। प्रस्तावित योजना की कार्य विवरणी अनु0–1 पर द्रष्टव्य है ।

3. इस योजना के लिए बजट मुख्य शीर्ष–2406 वानिकी और वन्य जीवन, उपमुख्य शीर्ष–01 वानिकी, समुह शीर्ष– अन्य क्षेत्रीय उपयोजना, लघु शीर्ष– 101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष– 03 वन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत **रु0 246.282 लाख** का बजट उपबंध स्वीकृत है विवरणी निम्नवतः है :–

क्र0 सं0	**बजट शीर्ष**	**बजट उपबंध**
1	मजदूरी	32.567
2	मशीनरी एवं उपकरण	10.000
3	आपूर्ति एवं सामग्री	38.715
4	व्यावसायिक सेवाएं	5.000
5	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	2.000
6	लघु निर्माण कार्य	158.000
	कुल योग :–	**246.282**

(योजना बजट पृष्ट सं0– 135 के अनुसार)

4. इस योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के लिए प्राक्कलन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित एवं वर्त्तमान में लागू कार्य दर के आधार पर तैयार किए गए है तकनीकि स्वीकृति प्राक्कलन संलग्न।

5. वित्तीय वर्ष 2008–09 में इस योजनान्तर्गत सी0ओ0बी0टी0 में प्रस्तावित एवं मंत्रीमंडल द्वारा स्वीकृत कार्यों को सम्मिलित किया गया है।

6. इस योजना के समर्पण के उपरांत बजट उपबंध के अनुसार उपलब्ध शेष राषि प्राथमिक इकाईवार निम्नलिखित है।

प्रार्थमिक इकाईयां	बजट उपबंध	पूर्व में समर्पित योजना प्रार्थमिक इकाईवार	वर्त्तमान में समर्पित की जा रही योजना प्रार्थमिक इकाईवार	इस प्रकार अबतक समर्पित की गई योजना	बजट उपबंध के अनुसार उपलब्ध शेष राशि प्रार्थमिक इकाईवार
मजदूरी	32.567	17.737	0.000	17.737	14.830
मशीनरी एवं उपकरण	10.000	0.000	0.000	0.000	10.000
आपूर्ति एवं सामग्री	38.715	32.939	0.000	32.939	5.776
व्यावसायिक सेवाएं	5.000	0.000	0.000	0.000	5.000
मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	2.000	0.000	0.000	0.000	2.000
लघु निर्माण कार्य	158.000	0.000	62.500	62.500	95.500
कुल :–	**246.282**	**50.676**	**62.500**	**113.176**	**133.106**

7. वित्तीय वर्ष 2008–09 में इस योजना के लिए बजट मुख्य शीर्ष–2406 वानिकी और वन्य जीवन, उपमुख्य शीर्ष–01 वानिकी, समुह शीर्ष– अन्य क्षेत्रीय उपयोजना, लघु शीर्ष– 101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष– 0103 वन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण योजना के उपबंधित राशि निम्नलिखित प्राथमिक इकाइयों में विकलनीय होगी :–

क्र0सं0	बजट शीर्ष	बजट उपबंध
1	लघु निर्माण कार्य	62.500
	कुल योग :–	**62.500**

8. वित्तीय वर्ष 2008–09 में कार्यान्वित की जाने वाली कार्य क्षेत्रों के प्रस्तावित योजना हेतु अनुलग्नक–1 में वर्णित पदाधिकारी अपने–अपने कार्य क्षेत्रों में प्रस्तावित कार्यों के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

अतः अनुरोध है कि प्रस्तावित कार्यों से संबंधित स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की कृपा करें ।

आपका विश्वासी,

<u>अनुलंग्नक : यथोक्त</u> ।

ह0/–

(जे0बी0 जौहर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची–2

ज्ञापांकः– दिनांकः–

प्रतिलिपि– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/मुख्य वन संरक्षक, विकास (अन्य क्षेत्र), राँची/उप वन संरक्षक, योजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची–2